

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लुनी, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी - पुखराज कंसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या - 74ए / 2023

वादीगण : -

01. जसवन्तसिंह पुत्र बागसिंह
02. बाबूसिंह पुत्र बागसिंह
03. मृतक गुमानसिंह पुत्र माधोसिंह
3/1 खीमसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री गुमानसिंह
3/2 गैनीकंवर पुत्री स्वर्गीय श्री गुमानसिंह
04. मृतक जावंतसिंह पुत्र श्री सिमरथसिंह
4/1 भंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जावंतसिंह
4/2 सुखसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जावंतसिंह
05. मृतक सोहनसिंह पुत्र श्री सिमरथसिंह
5/1 जोगसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री सोहनसिंह
5/2 मदिया कंवर पुत्री स्वर्गीय श्री सोहनसिंह
06. मृतक पुखसिंह पुत्र श्री भगसिंह
6/1 कालुसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पुखसिंह
6/2 नरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पुखसिंह
6/3 सवाईसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पुखसिंह
6/4 सोरम पुत्री स्वर्गीय श्री पुखसिंह
6/5 ममता पुत्री स्वर्गीय श्री पुखसिंह
07. मोहनसिंह पुत्र श्री भगसिंह
08. गोपालसिंह पुत्र श्री भगतसिंह
09. स्वरूपसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह
10. प्रेमसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह सभी जातियान राजपुरोहित निवासीगण गांव खाराबेरा पुरोहितान, तहसील लुनी, जिला जोधपुर।
बनाम

प्रतिवादीगण : -

01. सरदारसिंह पुत्र झुंझारसिंह
02. सीताराम पुत्र झुंझारसिंह
03. सीता बेवा जसराज
04. नबी पत्नी श्री शिवनाथसिंह
05. भूरसिंह पुत्र श्री जसवन्तसिंह
06. जवारसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
07. हमीरसिंह पुत्र गुमानसिंह
08. भीकसिंह पुत्र बनेसिंह
09. बलुसिंह पुत्र सुल्तानसिंह
10. मगसिंह पुत्र भोपालसिंह
11. नारायणसिंह पुत्र भोपालसिंह
12. फौजूसिंह पुत्र भोपालसिंह
13. अभयसिंह पुत्र भोपालसिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुनी

14. रावतसिंह पुत्र बाबूसिंह
15. गंगासिंह पुत्र जेठमलसिंह
16. बीजराजसिंह पुत्र रणजीतसिंह
17. मुकनसिंह पुत्र लिछमणसिंह
18. मंगलसिंह पुत्र रावतसिंह
19. बाबूसिंह पुत्र नथराजसिंह
20. बाबूसिंह पुत्र उदयसिंह जातियान राजपुरोहित निवासी खाराबेरा पुरोहितान तहसील लुणी, जिला जोधपुर ।
21. राजस्थान राज्य जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार लुनी, जोधपुर ।

**वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थित : - वकील वादीगण श्री हनुमानसिंह एवं एन एन राजपुरोहित
वकील प्रतिवादीगण

दिनांक : 28.07.25

-: निर्णय : -

संक्षिप्त में वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण की खातेदारी एवं काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 1081 रकबा 40 बीघा किस्म बाराणी प्रथम, सरहद ग्राम खाराबेरा पुरोहितान, पटवार क्षेत्र खाराबेरा पुरोहितान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडा विशनोईयां, तहसील लुनी, जिला जोधपुर में स्थित है। जिस पर वादीगण का वक्त सेटलमेन्ट से ही कब्जा काश्त रहा है। वादीगण के पिता सिमरथसिंह वगैरह का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से होने के कारण वक्त सेटलमेन्ट उनका नाम खसरा गिरदावरी में दर्ज है तथा संवत 2011 से संवत 2021 तक खसरा गिरदावरी में बागसिंह वगैरह का कब्जा काश्त दर्ज है। प्रतिवादीगण न तो इस गांव के निवासी है तथा न ही उनका उक्त खसरा के रकबा पर कभी भी कब्जा काश्त रहा है न ही इस गांव के निवासी है, न ही गांव में कभी भी देखा है, न ही गांव खाराबेरा पुरोहितान में कोई जानता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने बाबत बताने पर, हल्का पटवारी से वादीगण को प्रथम बार जानकारी होने पर वाद पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये, प्रतिवादीगण को सम्मन तामिल न होने पर आदेश 5 नियम 20 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया, तथा स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में 29.05.2016 को प्रकाशित की, लेकिन प्रतिवादीगण या उनकी और से उनका प्लीडर कोई भी उपस्थित न होने पर मजमेआम में भी प्रतिवादीगण को अवाजे दिलाई गई कोई हाजिर न आने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 20 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात गवाह घीसूसिंह एवं भीखसिंह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये, वादी और गवाह पेश न करने पर गवाह वादी बंद की व बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख वाद में दर्शाया है कि प्रतिवादीगण इस गांव में निवास नहीं करते हैं तथा सेटलमेन्ट में गलत नाम दर्ज हो गया । मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है इसलिए वादीगण का नाम डिक्री जारी की जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम डिलिट किया जावे मजमे आम में भी वादी के वाद के संबंध में जांच की गई तो पाया कि प्रतिवादीगण इस गांव में निवास नहीं करते है अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। इसके करीब दो माह बाद प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के वारिसान की तरफ एक प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थनापत्र शपथ आयुक्त द्वारा तस्दीक सुदा नहीं होते हुए भी प्रकरण संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुणी

49/2016 दर्ज कर लिया। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के वारिसान द्वारा इसी न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थनापत्र धारा 151 सीपीसी का पेश कर जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी संपठित धारा 151 सीपीसी जरिये विद्गो/ नोट प्रेस खारिज किया जावे। तदनुसार दिनांक 27.10.2016 को इस न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र का निस्तारित किया। इसके बाद पुनः जुलाई 2017 में प्रतिवादी के वारिसान की और से रिब्यू प्रार्थनापत्र मूल निर्णय एवं डिक्री 04.07.2016 को अपास्त किये जाने हेतु पेश किया, जिसमें वादीगण को कोई जबाब या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा आदेश 03 अक्टुम्बर 2017 पारित कर मूल निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2016 खारिज कर दिया।

वादीगण ने आदेश 03.10.2017 के विरुद्ध अपील पेश कर जाहिर किया कि अपील में रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 8 द्वारा पूर्व में आदेश 9 नियम 13 संपठित धारा 151 सीपीसी के तहत रिब्यू प्रार्थनापत्र की कार्यवाही में पक्षकार नहीं बने, पूर्व रिब्यू प्रार्थनापत्र के आवेदकगण द्वारा प्रार्थनापत्र जरिये विद्गो खारिज करवा लिया गया। तथा आलौच्य प्रार्थनापत्र मूल निर्णय दिनांक 04.07.2016 के खिलाफ करीब एक साल बाद प्रस्तुत किया तथा रिब्यू उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि मूल वाद में पक्षकार ही नहीं थे। मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.16 को अपास्त किया, बकाया उपरोक्त आब्जर्वेश में इंगित कार्यवाही बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, जिससे प्रतीत होता है कि 03.10.2017 का निर्णय अपने आप में अपूर्ण है। फिर भी अपीलीय न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री 04.07.2016 अपास्त कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया।


विचारण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज कर पत्रावली वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश हुई, वादीगण की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए, लेकिन प्रतिवादीगण अथवा उनकी और से प्लीडर अधिवक्ता उपस्थित न आने पर मजमेआम में प्रतिवादीगण को आवाजे दिलाई गई, कोई हाजिर नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 20 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। मृतक वादीगण के वारिसान का प्रार्थनापत्र पेश होने पर उसे स्वीकार कर नया संशोधित वाद शीर्षक को रिकॉर्ड पर लिया गया। वादीगण की और से आदेश 5 नियम 20 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया, तथा स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति में 06.07.2024 को प्रकाशित की, लेकिन प्रतिवादीगण या उनकी और से उनका प्लीडर कोई भी उपस्थित न होने पर मजमे आम में भी प्रतिवादीगण को आवाजे दिलाई गई कोई हाजिर न आने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 20 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात गवाह घीसूसिंह पुत्र मगसिंह, प्रहलादसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह, बखतावरसिंह पुत्र श्री जोगसिंह निवासी गांव धोलेरिया सांसण, तहसील रोहट जिला पाली, गवाह रूपसिंह पुत्र भीखसिंह, देवीसिंह पुत्र श्री भीखसिंह, निवासी गांव धोलेरिया सांसण तहसील रोहट जिला पाली हाल पता खाराबेरा पुरोहितान तहसील लुनी, जिला जोधपुर के अपने सशपथ कथनों के शपथ पत्र पेश किये, में बताया कि जन्म से ही धोलेरिया के निवासी है, कभी खाराबेरा में न तो निवास न ही खेतीबाडी की है, सशपथ कथनों में आये बताया कि 450 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज गांव खाराबेरा पुरोहितान छोडकर गांव धोलेरिया में बसे हुए है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक न होकर उक्त वर्णित वाद में सरदारसिंह वगैरह का खाराबेरा की जमीन में नाम इन्द्राज है, जो गलत इन्द्राज है, सेटलमेन्ट से पूर्व व बाद मौके पर जाकर खेतीबाडी ना ही की और न ही मौके की स्थिति का वास्तविक पता है। उक्त खसरो पर वादीगण द्वारा तथा वादीगण के पूर्वजो द्वारा आज दिन कब्जा काश्त है, के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये, वादीगण अधिवक्ता द्वारा फार्म संख्या 03 के साथ दस्तावेज पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये तथा साथ ही चैनसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, हीरसिंह पुत्र श्री गुमानसिंह निवासी खाराबेरा पुरोहितान तहसील लुनी जिला जोधपुर के साक्ष्य शपथ पत्र भी पेश हुए हुए, अपने शपथ कथनों में बताया कि उक्त खसरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लुनी


की भूमि पर वादीगण एवं उनके प्रेडिसिसर इन टाईटल का कब्जा काश्त रहा आज दिवस निर्विवाद रूप से रहा है। पत्रावली साक्ष्य वादी जिरह हेतु रखी गई, वादीगण गवाह पेश नहीं करना चाहते हैं। गवाह बन्द की गई।

बहस वादीगण विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण विद्वान अधिवक्ता ने अपने तक प्रस्तुत कर वादपत्र अनुसार डिक्की किये जाने हेतु निवेदन किया। इस प्रकार उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण तथा प्रस्तुत वाद पत्र, राजस्व रेकर्ड नकल जमाबंदी, दस्तावेजों एवं वादीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के दौरान दिये गये तर्कों का ध्यान पूर्वक मनन किया गया वादीगण ने अपने वाद में दर्शाया है कि प्रतिवादीगण अपने गांव में निवास नहीं करते हैं तथा सेटलमेन्ट में गलत नाम दर्ज हो गया है। मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है इसलिए वादीगण का नाम डिक्की जारी की जावे एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। मजमे आम में भी वादीगण के वाद के संबंध में जाँच की गई तो पाया कि प्रतिवादीगण इस गांव में निवास नहीं करते हैं। वादीगण अधिवक्ता द्वारा फार्म संख्या 03 के साथ पेश नकल गिरदावरी संवत 2010 से 2030 का अवलोकन किये जाने पर ग्राम खाराबेरा पुरोहितान की के खसरा संख्या 1081 गिरदावरी में उप कृषक विवरण सहित तथा कृषि काल के कॉलम में सिमरथसिंह, हिम्मतसिंह बागसिंह, भगसिंह वगैरह तथा गुमानसिंह एवं मादुसिंह अंकित है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त खेत खसरे में वादीगण का पूर्व से ही कब्जा काश्त था। वादी अधिवक्ता द्वारा पुर्व की बिगोड़ी रसीद दिनांक 04.03.1962 की संलग्न खातेदारों के पुर्वजों के नाम से है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्की अमर की जारी की जाती है कि वादीगण को खेत ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा संख्या 1081 रकबा 40 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया (डिलीट) किया जाता है। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्की बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग में किसी प्रकार की दखलांदाजी, अवरोध न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य के जरिये ही करवावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सुनी, जिला जोधपुर।
लूणा

निर्णय आज दिनांक 28-7-2025 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।


(पुखराज कंसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सुनी, जिला जोधपुर।
लूणा